

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 40/20-21 50/20/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग, देवघर के अधीन पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़िया प्रखण्ड के बड़ा सिंहपुर पंचायत के बेनाकुड़ा ग्राम में ब्राह्मणी नदी से कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत ₹48.98 लाख (रुपये अड़तालीस लाख अनठान्चे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग, देवघर के अधीन पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़िया प्रखण्ड के बड़ा सिंहपुर पंचायत के बेनाकुड़ा ग्राम में ब्राह्मणी नदी से कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत ₹48.98 लाख (रुपये अड़तालीस लाख अनठान्चे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
3. योजना के लिए TAC एवं SRC की अनुशंसा के आधार पर निम्न कार्य कराये जायेंगे :-
90m लम्बाई में Edge Crating का निर्माण कार्य।
4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ कर वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जायेगा।
5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-
मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन के अंतर्गत भारित होगा।
6. जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में
(i) शीर्ष 4711-01-796-58-05-45 अन्तर्गत रु० 730.00 लाख का एकमुश्त प्राक्कलन है।
7. उक्त प्रस्तावित कार्य सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़ द्वारा कराया जायेगा एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़ होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी कोषागार पाकुड़ से की जायेगी।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में उपबंध है।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव, जल संसाधन विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 40/20-21 प्र० ए०/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 40/20-21 प्र० ए०/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 40/20-21 प्र० ए०/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृति/आदेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 40/20-21 प्र० ए०/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 40/20-21 प्र० ए०/राँची, दिनांक 09-03-21

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आर्क्ष सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव